



सेवात्मक प्रमाणित

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता-वाराणसी वृत्त

आफिस कम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल

जवाहर नगर भेलूपुर, वाराणसी-221010

E-Mail: circle1@upavp.com

भारतीय नगर निकाय



पत्रांक- 342 / m-11 / 103 दिनांक- 16.2.26
ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिषद की ओर से उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में परिषद कार्य हेतु अधिकृत सुसंगत श्रेणी में पंजीकृत/अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से स्पर्धात्मक ई-निविदाये टू-बिड पद्धति पर राज्य सूचना केन्द्र (N.I.C) की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से आमन्त्रित की जाती है। ई-निविदाओं की तकनीकी बिड निम्न तालिका के अनुरूप सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में फर्मों/ठेकेदारों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। परीक्षणोपरान्त तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं का वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि व समय पृथक् से सूचित किया जायेगा।

क्रम सं०	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा	अनुमानित लागत (रु० लाख में)	घरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	खण्ड कार्यालय का नाम जहाँ निविदा खोली जानी है
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अवस्थापना निधि के अन्तर्गत जनपद-वाराणसी नगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में निम्नलिखित सड़कों का निर्माण कार्य।						
	(1) वार्ड नं०-08 मण्डुआडीह के अशफाक नगर में भौला साव के मकान से मुन्ना बैण्ड पार्टी के घर से होते हुए सुभान के मकान तक रोड निर्माण कार्य लम्बाई लगभग-220 मीटर।						
	(2) वार्ड नं०-6 मण्डुआडीह में श्याम पूजन गुप्ता के मकान से लेकर विरेन्द्र सिंह के मकान तक रोड निर्माण का कार्य लम्बाई-100 मीटर।						
	(3) 250 मीटर घोलिया पुलिया से लेकर नारेंद्र सिंह के आवास तक वार्ड नं०-12, गोला घाट, रामनगर, वाराणसी।						
	(4) 250 मीटर मनोज सिंह के मकान से बृजमोहन के मकान तक वार्ड नं०-13 रामपुर, रामनगर, वाराणसी।						
	(5) 300 मीटर बलराम तिवारी के घर से राकेश तिवारी के घर तक वार्ड नं०-23, अशोकपुरम कालोनी।						
	(6) वार्ड नं०-33 करौंदी के आदित्य नगर लेन नं०-03 में रोड निर्माण का कार्य लम्बाई लगभग-100 मीटर व चौड़ाई-10 फीट।	बी०ओ०एच० के अनुसार	344.00	6.88	6,000.00 + 18% G.S.T.	07 माह	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-वाराणसी -02, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, वाराणसी।
	(7) अनिल सिंह के मकान से तिवारी जी के मकान तक (स्थान भूषण) वार्ड नं०-33 रघुवंशी कालोनी, करौंदी।						
	(8) वार्ड नं०-38 ककरमल्ला के जलाली घट्टी में सन्नी बिन्द के मकान से विरेन्द्र घट्टेल के मकान तक रोड निर्माण का कार्य।						
	(9) वार्ड नं०-38 ककरमल्ला के पहाड़ी में मन्नु यादव के मकान से रामजनम के मकान तक रोड निर्माण का कार्य लम्बाई-100 मीटर।						
	(10) 150 मीटर मनोष सिंह के घर से लेकर श्रीवास्तव जी के घर तक बड़ी पटिया						
	(11) वार्ड नं०-39 सुसुवाही के नुआँव हरिजन बस्ती बाई पास के छविनाथ जी के घर तक रोड निर्माण का कार्य लम्बाई-400 मीटर।						
	(12) पप्पू गौड के मकान में कामी गौड के मकान तक 100 मीटर वार्ड नं०-50 सुन्दरपुर, करौंदी, वाराणसी।						

(13)	वार्ड नं०-57 छित्तपुर खास शिवाजी नगर में अमित सिंह के मकान से रामलखन पाण्डेय के मकान तक रोड निर्माण का कार्य लम्बाई लगभग-250 मीटर व चौड़ाई-4.5 मीटर।					
(14)	400 मीटर राजू बनिया के घर से प्रमोद जनरल स्टोर तक वार्ड नं०-97 छित्तपुर, लंका, वाराणसी।					
(15)	400 मीटर पप्पू पान भण्डार से अर्चना त्रिपाठी के मकान से कर्मदेसरपुरम मकान को जोड़ने वाली (गोपाल पटेल पार्श्व) कंदवा वार्ड नं०-480-481, शिवाजी नगर, कंदवा, वाराणसी।					
(16)	200 मीटर धीरेन्द्र महाविद्यालय (पप्पू पटेल) की गली के पीछे से रामजी यादव के घर तक कर्माजीतपुर, वाराणसी।					
(17)	300 मीटर पी०एन० तिवारी से ऊषा पाण्डेय के मकान तक (अमित सिंह पार्श्व) बालाजी नगर एक्सटेंशन, भगवानपुर, वाराणसी।					
(18)	दूरी 150 मीटर प्रियम्बदा सिंह के घर से वार्ड दशाश्वमेध मिसिरपुर लहरतारा।					
(19)	250 मीटर रामनंद सिंह के घर से जमुना उपाध्याय तक (पार्श्व कल्लू) वैष्णो नगर कालोनी।					
(20)	मिथलेश सिंह के प्लॉट से डब्लू के घर तक 150 मीटर वैष्णो नगर कालोनी।					

ई-निविदा से सम्बन्धित समय सारिणी	तिथि व समय
Document Download start date	21.02.2026 (17:00)
Document Download End date	18.03.2026 (12:00)
Bid submission start date	21.02.2026 (17:00)
Bid submission/closing date	18.03.2026 (12:00)
Technical Bid opening date	18.03.2026 (15:00)
Financial Bid opening date	To be declared after opening of Technical Bid

ई-निविदा हेतु शर्तें -

- निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि अलग-अलग आरटीजीएस के माध्यम से जमा किया जायेगा। आरटीजीएस निम्नलिखित विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व 17:00 बजे तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। कार्यालय का पता व खाते का विवरण निम्नवत है।
- निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य एवं धरोहर धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से अलग-अलग निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने से एक दिन पूर्व तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। वांछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। कार्यालय का पता व खाते का विवरण निम्नवत है।

खण्ड कार्यालय का पता : अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी-02, वाराणसी।
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी।

खाते का विवरण : HDFC BANK, RATHYATRA, VARANASI,
खाता सं० : 50100171916383
आई०एफ०एस० कोड : HDFC0000220

- यदि किसी ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है तो भी निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि एवं स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- निविदा प्रपत्र/धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित आरटीजीएस का यूटीआईआर के नम्बर की छायाप्रति स्कैन कर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना होगा।
- निविदादाता फर्म का आयकर एवं श्रम विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है, जो निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट www.upavp.in के निविदा लिंक पर तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहे क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदारों/फर्मों द्वारा ही ऑनलाइन निविदा डाली जा सकती है।
- शासन के निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री यथा मिट्टी, सैंड, स्टोन चिट/बेलास्ट इत्यादि पर रायल्टी भुगतान की रसीद/ साक्ष्य प्रस्तुत करने पर एवं सत्यापन उपरान्त ही बिल का भुगतान अनुमत्त होगा अन्यथा नियमानुसार

- बिल से कटौती की जायेगी। शासनादेश संख्या-3385-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुपालन में यदि ठेकेदार/फर्म नियमानुसार रायल्टी जमा नहीं करता है, तो निर्धारित रायल्टी की धनराशि के अतिरिक्त पांच गुना धनराशि फर्म के देयक से वसूल की जायेगी।
8. निविदा की तकनीकी बिड के साथ दसों के तीन माह की वैधता हेतु रु0 100.00 के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र एवं उक्त पर रु0 1.00 का राजस्व स्टैम्प लगाना अनिवार्य होगा।
 9. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन के समय रु0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करने एवं रु0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र देना होगा, कि यदि स्टाम्प की अतिरिक्त देयता होगी तो ठेकेदार ही वहन करेगा।
 10. निर्माण सामग्री की आपूर्ति प्रचलित आईएसओ कोड की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार करनी होगी तथा आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को सामग्री की टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 11. उओप्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम निमावली वर्ष-2009 के विनियम-24 (2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण करना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी। पंजीकरण प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 12. निविदा की बीओओक्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
 13. निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व इच्छुक निविदादाता/ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वह कार्यस्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें क्योंकि बाद में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त क्लेम मान्य नहीं होगा।
 14. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
 15. निविदादाता/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत की 10% जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत/शिड्यूल बैंक से निर्गत एफओडीओआर0/सीओडीओआर0 के रूप में सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बंधक बनवाकर जमा करनी होगी।
 16. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप में माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर/जमानत धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
 17. निविदादाता/फर्म द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाए जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जाएगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
 18. निविदादाता/फर्म का जीओएसटी के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
 19. ठेकेदार/फर्म के देयक से नियमानुसार, आयकर, लेबर सेस एवं अन्य कर जो सरकार द्वारा समय-समय पर लागू किये जायेंगे की कटौती की जायेगी। फर्म को नियमानुसार जीओएसटी0 अलग से देय होगी।
 20. अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 21. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।
 22. जमानत धनराशि कार्य समाप्त की तिथि से एक वर्ष उपरान्त अवमुक्त की जायेगी। शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि कार्य पूर्ण होने की तिथि के उपरान्त तीन वर्ष होगी, जिसके लिए कार्य की लागत का एक प्रतिशत जमानत धनराशि तत्पश्चात ही अवमुक्त की जायेगी।
 23. समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग/उओप्र0 जल निगम/उओप्र0 आवास एवं विकास परिषद की अध्यक्षता में विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
 24. जीओपीओडब्लू0, फार्म-9 एवं ई-निविदा सूचना अनुबन्ध का हिस्सा होगा तथा उसमें उल्लिखित नियमों व शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
 25. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित बहुमुल्टीप्ल प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
 26. निविदादाता की निविदा के साथ निर्धारित वैध प्रमाण पत्र (टी-4, टी-5, टी-6) की स्कैन की प्रति आनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा।
 27. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।
 28. शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 ऑडिट/08 टीओसी0-2, दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बीओओक्यू0 की दरों से Below दर होने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी।
 - a. 10% तक Below दर पर 0.50% प्रति 1.00% कम (Below) दर के लिए।
 - b. 10% से अधिक Below दर पर 1.00% प्रति 1.00% कम (Below) दर के लिए।
 29. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
 30. तकनीकी बिड की चेक लिस्ट के अनुरूप मांगे गये सभी दस्तावेज को अपलोड करने पर ही दरें मान्य होंगी, यदि दस्तावेज सही नहीं पाये जाते हैं, तब निविदा को सील कर दिया जायेगा तथा ऐसे निविदादाता की फाईनैशियल बिड नहीं खोली जायेगी।
 31. निर्माण कार्य में विलम्ब एवं उसकी गुणवत्ता में यदि कोई कमी/प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी।

32. किसी भी विवाद की दशा में न्यायिक क्षेत्र नियंत्रक अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय के जनपद में अर्थात् निर्माण खण्ड वाराणसी-02 हेतु जनपद-वाराणसी होगा।
33. प्रस्तावित कार्यस्थल पर भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में यदि अन्यत्र भूमि उपलब्ध करायी जाती है, तो कार्य ई-निविदा में दी गयी दरों पर ही करना होगा। इस सम्बन्ध में फर्म/ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
34. निर्माणाधीन सड़क/कार्यस्थल के आस-पास के भवनों/सीवर लाइन/इलेक्ट्रिक कनेक्शन/वाटर लाइन के टूट-फूट के सम्पूर्ण दायित्व निविदादाता का होगा। इसे सुनिश्चित करने का शपथ पत्र ₹0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
35. निर्माण कार्य हेतु तकनीकी बिड के साथ निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने का मासिक माइलस्टोन/मासिक बार चार्ट ठेकेदार को संलग्न करना होगा तथा ₹0 100.00 के नॉन ज्युडीशियल स्टाम्प पेपर पर बारचार्ट के अनुरूप एवं अनुबन्धित अवधि में कार्य पूर्ण करने का शपथ पत्र देना होगा। अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।
36. निविदादाता टेक्निकल बिड का भली-भाँति अध्ययन करते हुए सभी वांछित आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक प्रपत्र संलग्न करें, जिनमें चैकलिस्ट के अतिरिक्त वांछित किसी प्रपत्र की अपूर्णता पाये जाने पर भी निविदा पर भी विचार नहीं किया जायेगा।
37. निविदादाता द्वारा कार्यस्थल का फोटोग्राफ्स अपलोड करना अनिवार्य है।
38. परिषद द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किये गये सामग्री की ब्राण्ड सूची के अनुसार निर्माण सामग्री कार्य में प्रयोग की जायेगी।
39. निविदादाता द्वारा कार्य में प्रयोग किये जा रहे जल की खवस्था स्वयं करनी होगी तथा कार्य आरम्भ करने से पूर्व प्रयोग किये जा रहे जल का टेस्ट सर्टीफिकेट अनुमोदित संस्था से प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा। कार्य में उच्च गुणवत्ता (पोटेबल) जल प्रयुक्त करना होगा।
40. निविदा की वैधता तीन माह होगी।
41. उक्त कार्य हेतु एन0जी0टी0 के नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु निविदादाता फर्म द्वारा निर्धारित स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।
42. समस्त निर्माण कार्य अनुबन्ध गठित होने की तिथि से 07 माह के उपलब्ध कराये गये बार चार्ट के अनुसार निर्धारित समय सीमा में पूर्ण न होने पर प्रतिदिन ₹0 1000.00 का अर्थदण्ड ठेकेदार द्वारा विभाग के पक्ष में देय होगा।
43. निविदादाता को कार्य में सम्मिलित विशेष प्रकृति के कार्य, तत्सम्बन्धी कार्य हेतु दक्ष अधिकृत एजेन्सी के पर्यवेक्षण में कराने होंगे।
44. ठेकेदार/फर्म की लापरवाही के कारण कार्यस्थल पर हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं की जिम्मेदारी होगी। परिषद द्वारा कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
45. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।


 (प्रशान्त वर्धन)
 अधीक्षण अभियन्ता

पृ0सं0- 342/उक्त दिनांक 16.2.26
 प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता (प्र0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
3. इंचार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-वाराणसी-02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वाराणसी।
5. सहायक अभियन्ता, वाराणसी वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वाराणसी।


 अधीक्षण अभियन्ता